



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 186-2024/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2024
(5 मार्गशीर्ष, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 60/के०अ० 46/2023/धा० 329/2024, दिनांक 26 नवम्बर, 2024— न्यायालयिक प्रयोगशाला, क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला तथा मोबाइल न्यायालयिक यूनिट, हरियाणा के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों को शासकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में विनिर्दिष्ट करने बारे।	237—238
भाग-IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 नवम्बर, 2024

संख्या का०आ० 60/के०अ० 46/2023/घा० 329/2024.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 329 की उप-धारा (4) के खण्ड (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, न्यायालयिक प्रयोगशाला, क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला तथा मोबाइल न्यायालयिक यूनिट, हरियाणा के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों को उक्त संहिता की धारा 329 के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से शासकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 26th November, 2024

No. S.O. 60/C.A.46/2023/S.329/2024.— In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (4) of section 329 of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the Governor of Haryana hereby specifies the Senior Scientific Officers and Senior Scientific Assistants of the Forensic Science Laboratory, Regional Forensic Science Laboratories and Mobile Forensic Science Units of Haryana as Government scientific experts for the purposes of section 329 of the said Code, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.